पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 47/2018 779 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
छपरा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, परसा बाजार।

पटना, दिनांक–22/6/18

विषयः– नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत नगर पंचायत, परसा बाजार में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार का पत्रांक–443 दिनांक–09.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से समर्पित विषयांकित कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है। स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक–एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु लौटायी जा रही है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
01.	नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत नगर पंचायत, परसा बाजार में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.333 (विभागीय पत्रांक–135 दिनांक–14.02.2015)	129.034	1,09,70,358/–

निम्न शर्त्तो के साथ तकनीकी स्वीकृति दी जा रही हैः–

(i) कार्य प्रारंभ के पूर्व प्रस्तावित भवन के मिट्टी भार वहन क्षमता ज्ञात करेंगे तथा निरूपण नक्शे के मिट्टी भार वहन क्षमता से मिलान कर लेंगे। यदि भिन्नता आती है तो इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

(iii) प्रस्तावित भवन का Earthquake Resistant बनाने के लिए Ductile Detailing पर ही कार्य करायेंगे।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

22.6.18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\N K File 2014\Chapra\Chapra T.S.docx

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

1 **योजना का नाम :–** नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत नगर पंचायत, परसा बाजार में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।

2 **प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :–** 1,39,33,300/–(एक करोड़ उन्नचालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ) रूपये मात्र (विभागीय पत्रांक–135 दिनांक–14.02.2015) से प्राप्त।

3 **तकनीकी स्वीकृति की राशिः–** 1,29,03,400/–(एक करोड़ उन्नतीस लाख तीन हजार चार सौ) रूपये मात्र।

4 **(i)** कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।

(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।

(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसुस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।

(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।

(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेगें।

(vi) भवन के कॉलम, बीम, स्लैब, स्टैयर आदि का निरूपण कराकर ही कार्य करायेंगे। साथ ही साथ भवन के सभी मदों में यथा बीम, स्लैब, स्टैयर, लींटल एवं कॉलम में M-25 का ही उपयोग करेंगे।

(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेगें।

(viii) गुणवता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय–समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।

(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेगें तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।

(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देगें।

(xi) गैर अनुसूचित मद के कार्यो का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेगें।

(xii) विभिन्न मदों में प्रयुक्त होने वाले (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।

(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

22.6.18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\N K File 2014\Chapra\Chapra T.S.docx